

कार्यालय नगर पालिक निगम, देवास (म.प्र.)

प्रकरण क्रमांक...../लो नि.वि./200
14x3x12x/07

अनुज्ञा क्रमांक...1212.....

दिनांक...19/6/07.....



नाम मेर्सस भोमिया जी लेण्ड एण्ड फ्लॉयर्स क. 1. श्री प्रेमकुमार सत्यनारायण अग्रवाल,
2. श्री कलाश्रुत कुमार इंदरमल जैन, देवास.

विषय कस्बा देवास जुनियर की भूमि सर्वे क्र. 37/2 रकबा 0.781 है. ₹7810.00 व.मी. १
गौरव नगर एक्सटेंशन के प्लॉट क्र. 1 से 53 तक मानचित्र अनुसार निर्माण कार्य बाबद।

उक्त विषय में आपका प्रार्थना-पत्र दिनांक 23.2.07 का प्राप्त होने पर से श्री आयुक्त महोदय के आदेश दिनांक 11.6.07 के अनुसार

आपके आवेदन एवं मानचित्र अनुसार आपको निरूपादित अनुबंध दिनांक 14.6.07 की शर्तों के अधीन रहते हुए निम्नलिखित शर्तों पर उपरोक्त सर्वे नं. के प्लॉटों पर भूतल एवं प्रथमतल के आवासीय निर्माण कार्य की अनुमति रो-हाउसेस अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

1. यह कि सर्वे प्रथम आपको प्लॉट नं. 1 से 34 तथा 49 से 53 तक के भूतलों का निर्माण कार्य संलग्न मानचित्र अनुसार एम.ओ.एस. सामने से 3.00मी. पिछे से 1.50मी. छोड़कर करना होगा। तथा प्रत्येक भूखण्ड के सामने छायादार दो-दो वृक्ष लगाने अनिवार्य होंगे।
2. कालोनी पेटे पच्चीस प्रतिशत भूखण्ड क्र. 35 से 48 कुल 14 भूतलों का निर्माण कार्य विकास कार्य कालोनी में होने तथा नगर निगम में उक्त प्लॉट जो माडिगिज रखे गये है हूक्त किये जाने के पश्चात संलग्न मानचित्र अनुसार उपरोक्तानुसार एम.ओ.एस. छोड़कर करना होगा तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्र अनुसार ही करें।
3. एफ.ए.आर. 1.25 से अधिक मान्य नहीं होगा। निर्माण कार्य की अनुज्ञा तीन वर्ष तक प्रभावशील रहेगी। निर्मित है 32.39 प्रतिशत से अधिक मान्य नहीं होगा।
4. यदि उपरोक्त शर्तों एवं पिछे अंकित नोट क्र. 1 से 11 का पालन करना होगा अपालन की दशा में दी गई अनुज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावेगी।
5. कालोनी विकास अनुमति एवं रो-हाउसेस अन्तर्गत अनुबंध दि. 14.6.07 को आपके द्वारा निरूपादित किया गया है उसकी शर्त क्र. 1 से 42 का पालन आपके द्वारा किया जावेगा अपालन की दशा में दी गई अनुज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावेगी।

संलग्न:- मानचित्र-1 एवं हार्वेस्टिंग प्रपत्र।

आर.एच./

msbms

msbms
वारुण आयुक्त,
नगर पालिक निगम
देवास (म.प्र.)


प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. राजस्व निरीक्षक नगर पालिक निगम, देवास।
 2. जल कार्य निरीक्षक नगर पालिक निगम, देवास।
 3. सामंत्तिकर अधिकारी नगर पालिक निगम, देवास।
- नोट 1. निर्माण कार्य आपके स्वयं के स्वामित्व की भूमि पर स्वीकृत प्लान अनुसार ही किया जावे अन्य किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जावे।
2. नगर पालिक निगम की भूमि पर बिना अनुमति मटरियल नहीं डाला जावे।
 3. इस अनुज्ञा-पत्र की अवधि जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष की है।
 4. निर्माण कार्य प्रारम्भ, प्लान्थ तक पूर्ण एवं निर्माण समाप्ति की सूचना के इस कार्यालय को अवगत करना होगा।
 5. टैंक अपनी हद में रखकर सेफ्टी टैंक पखाना अनिवार्य रूप से ही स्वीकृत प्लान अनुसार निर्माण करें।
 6. किसी भी प्रकार की भूमि स्वत्व एवं दस्तावेज सेवाय विवाद उत्पन्न होने की दशा में दी गई अनुज्ञा-पत्र स्वतः निरस्त समझी जावेगी।
 7. गंदे पानी की निकासी की रसदरथा स्वयं को करनी होगी।
 8. निर्माण की दूरी विद्युत लाईन से खड़े रूप में 2.5 मीटर एवं आड़े रूप में 1.2 मीटर की दूरी बनाकर निर्माण कार्य करना होगा।
 9. भू-जल संवर्द्धन हेतु रुफ हविरिटिंग पद्धति अपनाई जाना आवश्यक है अपालन की स्थिति में दी गई अनुज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावेगी।
 10. म.प्र. भूमि विकास अधिनियम 1984 के सेक्टर शर्तों एवं उपबंधों का पालन करे।
 11. भूकम्परोधी प्रावधान हेतु आय. एस. कोड 1983, 1996, 13920-1993, 13827-1993, 13935-1993 के प्रावधानों अनुरूप तथा संलग्न स्ट्रक्चरल, ड्राईंग एवं डिजाइन अनुसार अधिकटेक्ट से निर्माण कार्य करवाने की जवाबदारी आपकी रहेगी।

निगम
नगर पालिक निगम
(देवास)

10.10.2018

पारसि आयुक्त,
नगर पालिक निगम
देवास (सं.प्र.02)



प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं पालनार्थ

1. राजस्व निरीक्षक नगर पालिक निगम, देवास।
 2. जल कार्य निरीक्षक नगर पालिक निगम, देवास।
 3. सम्पत्तिकर अधिकारी नगर पालिक निगम, देवास।
- नोट 1. निर्माण कार्य आपके स्वयं के स्वामित्व की भूमि पर स्वीकृत प्लान अनुसार ही किया जावे अन्य किसी भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया जावे।
2. नगर पालिक निगम की भूमि पर बिना अनुमति मटेरियल नहीं डाला जावे।
 3. इस अनुज्ञा-पत्र की अवधि जारी होने के दिनांक से 3 वर्ष की है।
 4. निर्माण कार्य प्रारम्भ, प्लानिथ तक पूर्ण एवं निर्माण समाप्ति की सूचना के इस कार्यालय को अवगत करना होगा।
 5. टैंक अपनी हद में रखकर सेफ्टी टैंक पखाना अनिवार्य रूप से ही स्वीकृत प्लान अनुसार निर्माण करें।
 6. किसी भी प्रकार की भूमि स्वत्व एवं दस्तावेज सेवार्थ विवाद उत्पन्न होने की दशा में दी गई अनुज्ञा-पत्र स्वतः निरस्त समझी जावेगी।
 7. गंदे पानी की निकासी की व्यवस्था स्वयं को करनी होगी।
 8. निर्माण की दूरी विद्युत लाइन से खड़े रूप में 2.5 मीटर एवं आड़े रूप में 1.2 मीटर की दूरी बनाकर निर्माण कार्य करना होगा।
 9. भू-जल संवर्द्धन हेतु रुफ हर्विस्टिंग पद्धति अपनाई जाना आवश्यक है अपालन की स्थिति में दी गई अनुज्ञा स्वतः निरस्त समझी जावेगी।
 10. म.प्र. भूमि विकास अधिनियम 1984 के सम्बन्धित शर्तों एवं उपबन्धों का पालन करें।
 11. भूकम्परोधी प्रावधान हेतु आय. एस. कोड 1983, 1996, 13920-1993, 13827-1993, 13935-1993 के प्रावधानों अनुरूप तथा संलग्न स्ट्रचरल, ड्राईंग एवं डिजाइन अनुसार अर्किटेक्ट से निर्माण कार्य करवाने की जवाबदारी आपकी रहेगी।

महानगर देवास
 नगर पालिक निगम
 (08 08) देवास

msdms

घाटे आयुक्त,
 नगर पालिक निगम
 देवास (सं. प्र०)